Government of **Western Australia**
Department of **Health**
WA Cancer and Palliative Care Network

Hindi

Advance Care Planning (अग्रिम देखरेख योजना)

रोगी के लिए संदर्शिका

संस्करण 3

दुभाषिया सेवा

यदि आपको अपनी भाषा में किसी स्वास्थ्य सेवा से बात करने में सहायता की आवश्यकता है तो कृपया दुभाषिये का अनुरोध करें।

Interpreter

© Department of Health, State of Western Australia (2017).
All information and materials in this Guide are protected by copyright. Copyright resides with the State of Western Australia. Apart from any use permitted by the *Copyright Act 1968* (Cth) the information in this Guide may not be published, or reproduced in any material whatsoever, without express permission of the WA Cancer and Palliative Care Network, Western Australian Department of Health.

हम Office of the Public Advocate की वेबसाइट www.publicadvocate.wa.gov.au को जानकारी के बहुमूल्य स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं।

सुझाए गए उद्धरण

Department of Health, Western Australia.

अग्रिम देखरेख योजना: रोगी के लिए संदर्शिका। पर्थ: WA Cancer and Palliative Care Network, Department of Health, Western Australia; 2017

महत्वपूर्ण अस्वीकरण कथन

इस संदर्शिका में दी गई जानकारी व्यापक नहीं है। इसी तरह, हमारा यह इरादा भी नहीं है, न ही यह होना भी चाहिए कि कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह के विकल्प के रूप में आप इस पर निर्भर करें। यदि आपकी कोई कानूनी समस्या है, तो आपको अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वतंत्र कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

Advance Care Planning

Advance Care Planning रोगी की मान्यताओं, विचार-धाराओं, उपचार और देखरेख विकल्पों के बारे में रोगी और उसके देखरेखकर्ताओं, उसके परिवार और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच निरंतर होने वाली चर्चा है। यह उस परिस्थिति में विशेष रूप से रोगी के भविष्य के उपचार और देखभाल के लिए उसकी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जब वह ज़रूरत पड़ने पर अपने फैसले लेने या संचार करने में सक्षम नहीं होंगे।

यह संदर्शिका Advance Care Planning का संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है।

विषय-वस्तु

अपने किसी करीबी व्यक्ति से बात करें	4
अपने विचारों को संग्रहीत करें	5
अपने डॉक्टर से बात करें	6
अन्य लोग जो मदद कर सकते हैं	7
अपने विचारों को लोगों की जानकारी में लाएं - उन्हें लिखित रूप दें	10
अन्य मामले	13
दूसरों को सूचित करना	14
गैर-तात्कालिक उपचार निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया	15
आगे की जानकारी	16
शब्दावली	17

अपने किसी करीबी व्यक्ति से बात करें

कई लोगों को जीवन के अंत में या किसी अक्षमता की स्थिति से सम्बन्धित अपनी प्राथमिकताओं के बारे में अपने प्रियजनों से बात करना असहज महसूस होता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए अक्षमता या जीवन के अंत की स्थिति हमेशा वैसी नहीं होती है जैसी हमने उम्मीद की होती है।

कोई दीर्घकालिक या जीवन के अंतिम पड़ाव वाली बीमारी की स्थिति हमारी ऐसे फैसले लेने की क्षमता को दूर कर सकती है कि हम अपने आखिरी महीनों और दिनों में अपने साथ कैसा बर्ताव चाहते हैं, इसलिए अपने करीबी लोगों को पहले से ही अपनी प्राथमिकताओं को जानकारी देना महत्वपूर्ण होता है।

ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी देखरेख और अपने उपचार से जुड़ी प्राथमिकताओं के बारे में अपने किसी करीबी व्यक्ति से बातचीत करना है, जैसे कि पार्टनर (पति/पत्नी), रिश्तेदार और मित्र।

इस बारे में आपकी राय स्पष्ट हो सकती है कि आप क्या चाहते हैं कि उस समय क्या हो। इस संबंध में विचार करने हेतु कुछ सवाल निम्नलिखित हैं:

- आप किस तरह की देखरेख पसंद करेंगे या किस देखरेख को अस्वीकार्य मानेंगे?
- यदि आपका दिल या श्वास काम करना बंद कर दे तो क्या आप चाहेंगे कि आपको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए?
- अपनी अपनी देखरेख कहाँ करानी चाहेंगे?
- क्या कोई खास चीज़ है जिसे आप अपने पास रखना चाहेंगे?
- क्या कोई ऐसी खास वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आप अपने पास नहीं रखना चाहेंगे?

प्रियजनों से बात करते समय कई विचार और भावनाएं उभर सकती हैं। ऐसी हालत में दोनों बातें हो सकती हैं - आपको परेशानी भी हो सकती है या ये सुविधाजनक भी साबित हो सकती हैं।

जो मुद्दे आपको असहज महसूस कराते हों, उनके बारे में बात करने से बचना स्वाभाविक है, हालांकि इन बातों पर वार्तालाप करने का समय आखिर आ ही जाता है। हालांकि बचाव से थोड़े समय के लिए आराम मिल सकता है, किन्तु अंत में इससे आपमें, आपके परिजनों और मित्रों में चिंता के बढ़ने की संभावना होगी। यदि आपके करीबी लोगों को आपकी ज़िन्दगी से जुड़े वो बड़े निर्णय लेने पड़ें जिनसे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता हो, तो ये उनके लिए बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं - इस संबंधी उनका मार्गदर्शन करें।

ऐसा समय भी आ सकता है जब आप अपनी प्राथमिकताओं को व्यक्त नहीं कर पाएँगे। इसलिए अपने प्रियजनों को अभी बताएँ ताकि यह काम आपके और उनके लिए आसान हो जाए।

अपने विचारों का संग्रहीत करें

देखरेख के लिए अपने सभी विकल्पों का अन्वेषण करें और सभी परिस्थितियों पर विचार करें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी स्थिति खराब हो जाती है तो घर पर आपकी देखरेख करना संभव नहीं होगा। इसलिए आप संभवत: अपना इलाज करने वाले स्वास्थ्य-पेशेवरों, Enduring Guardian या परिवार से सलाह करके आपको उपलब्ध विकल्पों का पता लगाना चाह सकते हैं।

आपकी कुछ प्राथमिकताएँ अपनी चिकित्सकीय देखरेख के बारे में होंगी और अन्य प्राथमिकताएँ दूसरे निजी मामलों के बारे में होगी।

इन बातों पर विचार करने के लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं:

- इस संबंधी आपका विकल्प कि क्या आप घर पर, अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी धर्मशाला में देखरेख कराना चाहते हैं
- जब आप क्षमता खो बैठते हैं या जीवन के अंत के करीब आ रहे होते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपसे मिलने कौन-कौन आए
- आप अपनी देखरेख में अपने धार्मिक या आध्यात्मिक विचार-धाराओं को कैसे दर्शाना चाहते हैं
- आपकी सुविधा - उदाहरण के लिए, क्या आप स्नान करना पसंद करते हैं या शावर लेना, या फिर बत्ती जला कर सोना पसंद करते हैं या बुझा कर
- व्यावहारिक चिंताओं के लिए समाधान, जैसे कि आपके पालतू जानवर की देखभाल कौन करेगा
- वसीयत बनाना और/या इसे जिस स्थान पर रखा गया है वह बताना
- अंतिम संस्कार संबंधी व्यवस्थाओं के लिए किसी विवरण या प्राथमिकताओं के बारे में बताना
- जब आप क्षमता खो चुके हों या जीवन के अंत के करीब आ रहे हों तो आप अपने आस-पास क्या रखा होना चाहते हैं:
  - पसंदीदा फोटो
  - वस्त्र या आप के लिये महत्वपूर्ण पारिवारिक या पसंदीदा वस्तुएँ
  - अपनी पसंद का संगीत बजाया जाना।
- परिवार और दोस्तों के लिए व्यक्तिगत संदेश
- उपचार संबंधी निर्णय जो आपको स्वीकार्य हैं और जो आपकी अस्वीकार्य हैं
- वो चीजें जो आप नहीं चाहते हैं।

यह समय रुककर सोचने और बात करने का है। अपने स्वास्थ्य-पेशेवरों, परिवार और मित्रों या आपके आध्यात्मिक सलाहकार, परामर्शदाता, सहायता समूह या इंटरनेट जैसे अन्य माध्यमों से जानकारी एकत्र करना मददगार साबित हो सकता है।

अपने चिकित्सक से बात करें

आपने अपने परिवार, मित्रों और/या Enduring Guardian के साथ चर्चा कर ली है और आपने अपनी प्राथमिकताएँ दर्शा दी हैं। अब आपको अपनी प्राथमिकताओं को अपने चिकित्सक और/या आपका इलाज करने वाले अन्य स्वास्थ्य-पेशेवरों को बताने की आवश्यकता है।

अपना इलाज करने वाले स्वास्थ्य-पेशेवरों के साथ बिलकुल खुले रहें। वे आपकी मदद के लिए हैं और वे भविष्य की आपकी देखरेख के बारे में स्पष्ट निर्देशों का स्वागत करेंगे। यदि आप चाहें तो समर्थन के लिए किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं।

यदि आपको पहले से इस बात की जानकारी नहीं है तो अपना इलाज करने वाले स्वास्थ्य-पेशेवर/रों से पता लगाएँ कि आपकी बीमारी का क्या अर्थ है।

अपनी बीमारी के संबंध में विचार करने के लिए कुछ सवाल:

- यह आपको कैसे प्रभावित करेगी?
- किसी भी संभावित उपचार के प्रभाव क्या होंगे?
- किस प्रकार की प्रशामक देखरेख उपलब्ध होगी?

यह समय है जब आपको अपना इलाज करने वाले स्वास्थ्य-पेशेवर/रों को अपने विचारों और भावनाओं और उपलब्ध उपचार-विकल्पों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जैसे कि:

- यदि आपका दिल काम करना बंद कर देता है तो क्या आप चाहेंगे कि आपको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए?
- क्या आप ड्रिप के माध्यम से तरल पदार्थों का सेवन करना या इन्हें प्राप्त करना चाहेंगे?
- क्या आप अपने अंग-दान करेंगे?

अब समय इस बारे में बातचीत करने और योजना बनाने का है

अन्य लोग जो मदद कर सकते हैं

आप किसी स्वास्थ्य-पेशेवर से बात करके या उपयोगी वेबसाइटों के माध्यम से Advance Care Planning के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कभी-कभी आपके लिये Advance Care Planning तैयार करने में आपकी मदद करने हेतु एक अलग परिप्रेक्ष्य उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

कुछ उपयोगी संगठन इस प्रकार हैं:

Office of Multicultural Interest

Gordon Stephenson House
140 William Street,
PERTH WA 6000
टेलीफोन: (08) 6551 8700
Translating and Interpreting Service (TIS)
टेलीफोन: 13 14 50
ईमेल: harmony@omi.wa.gov.au
वेबसाइट: www.omi.wa.gov.au

Carers WA

182 Lord Street, PERTH WA 6000
टेलीफोन: (08) 1300 227 377
ईमेल: info@carerswa.asn.au
वेबसाइट: www.carersaustralia.com.au

Palliative Care WA Inc

15 Bedbrook Place, SHENTON PARK WA 6008
टेलीफोन: 1300 551 704
ईमेल: pcwainc@palliativecarewa.asn.au
वेबसाइट: www.palliativecarewa.asn.au

Cancer Council WA

420 Bagot Road, SUBIACO WA 6008
टेलीफोन: 13 11 20
वेबसाइट: www.cancerwa.asn.au

Health Consumers’ Council Western Australia

Unit 6 Wellington Fair, 40 Lord Street,
EAST PERTH WA 6004
टेलीफोन: 1800 620 780
ईमेल: info@hconc.org.au
वेबसाइट: www.hconc.org.au

Organ Donation

DonateLife Western Australia
Suite 3, 311 Wellington Street,
PERTH WA 6000
टेलीफोन: (08) 9222 0222
ईमेल: donatelife@health.wa.gov.au
वेबसाइट: www.donatelife.gov.au

Ethnic Disability Advocacy Centre

320 Rokeby Road
SUBIACO WA 6008
टेलीफोन: (08) 9388 7455
फ्री कॉल: 1800 659 921
ईमेल: admin@edac.org.au
वेबसाइट: www.edac.org.au

अपने विचारों को लोगों की जानकारी में लाएँ - उन्हें लिखित रूप दें

भविष्य में उपचार, देखभाल और व्यक्तिगत मामलों को लेकर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट होने के बाद, यह अनुशंसा की जाती है कि आप इन्हें लिखित रूप दें।

Advance Care Planning प्रक्रिया से इस बात की पहचान हो सकती है कि कई अलग-अलग दस्तावेजों को पूरा किया जाना चाहिए ताकि आपकी प्राथमिकताओं को ठीक किया जा सके और समय आने पर इनका अनुपालन किया जा सके (या किया जाए)।

आपके मामले में निम्न में से कौन सी आवश्यकता हो सकती है, इस पर विचार करें।

Advance Health Directive

Advance Heath Directive (AHD) एक ऐसा फॉर्म है जिसे कानून (Guardianship and Administration Act 1990 के अधीन) में मान्यता प्राप्त है और इसमें जीवन-निरंतरता संबंधी उपायों और प्रशामक देखरेख सहित विशिष्ट स्वास्थ्य देखरेख उपचारों या प्रक्रियाओं के लिए सहमति प्रदान करने या इसे रोके रखने के लिए किसी व्यक्ति के निर्णय शामिल होते हैं।

AHD बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि:

- आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है
- आपको पूर्ण कानूनी क्षमता प्राप्त है। AHD में शामिल उपचार निर्णय केवल तभी लागू होंगे जब आप उस परिस्थिति में अपने उपचार से सम्बन्धित उचित निर्णय लेने में असमर्थ हों जब उपचार संबंधी निर्णय लेने की आवश्यकता हो। इन परिस्थितियों में और साथ ही कुछ अन्य सीमाओं के अंतर्गत, स्वास्थ्य-पेशेवरों को AHD में निर्दिष्ट आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार इलाज करना या रोकना चाहिए।

यदि आप कानूनी तौर पर बाध्यकारी उपचार निर्णय लेना चाहते हैं, तो यह सिफारिश की जाती है कि आप AHD बना लें।

AHD बनाने के लिए, आप निम्न माध्यम से एक फार्म प्राप्त कर सकते हैं:

1. फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें
www.health.wa.gov.au/advancecareplanning

2. ईमेल: acp@health.wa.gov.au

वैकल्पिक रूप से, आप फॉर्म की प्रति प्राप्त करने या अधिक जानकारी के लिए, Department of Health के WA Cancer and Palliative Care Network (WACPCN) से सम्बन्धित किसी व्यक्ति से **(08) 9222 2300** पर बात कर सकते हैं।

Enduring Power of Guardianship

एक और विकल्प जिसपर आप विचार करना पसंद कर सकते हैं, वह है - Enduring Power of Guardianship (EPG)। EPG संरक्षकता की शक्ति और उस शक्ति को आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड करने वाले फॉर्म को संदर्भित करता है, जिसे कानून (Guardianship and Administration Act 1990 के अधीन) के अनुसार मान्यता प्राप्त है। EPG आपके द्वारा चुने व्यक्ति को उस परिस्थिति में आपकी ओर से महत्वपूर्ण निजी, जीवन-शैली और उपचार संबंधी निर्णय लेने का अधिकार देता है जब आप खुद से ऐसे निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इस व्यक्ति को Enduring Guardian के नाम से जाना जाता है।

उदाहरण के लिए, आप किसी Enduring Guardian को यह अधिकार देना पसंद कर सकते हैं कि वह इन कार्यों से संबंधित निर्णय ले कि आप कहाँ रहेंगे, आपको किन सहायता सेवाओं तक पहुँच प्राप्त होगी और आपको किस प्रकार का उपचार मिलेगा।

Enduring Guardian को आपकी ओर से संपत्ति या वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है; इन चीजों का निपटान Enduring Power of Attorney (नीचे देखें) के तहत किया जा सकता है।

EPG बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि:

- आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है
- आपको पूर्ण कानूनी क्षमता है।

जिस व्यक्ति को आप अपना Enduring Guardian नियुक्त करते हैं, यह ज़रूरी है कि उस व्यक्ति की आयु भी 18 वर्ष या इससे अधिक है और उसे भी पूर्ण कानूनी क्षमता प्राप्त है।

आप संयुक्त Enduring Guardians के रूप में एक से अधिक Enduring Guardian नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें संयुक्त रूप से कार्य करना होगा जिसका अर्थ यह है कि उन्हें आपकी ओर से लिए जाने वाले किसी भी फैसले पर उन्हें सहमत होना होगा।

आपके Enduring Guardian को दिए जाने वाले अधिकार की सीमा आपके द्वारा अपना EPG बनाते समय निर्धारित की जाती है।

Enduring Guardian आपके द्वारा AHD में पहले से संबोधित किए मामलों के बारे में निर्णय नहीं ले सकता है। आप Office of the Public Advocate को 1300 858 455 पर टेलीफोन करके या वेबसाइट www.publicadvocate.wa.gov.au देखकर Enduring Guardian नियुक्त करने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Advance Care Plan

Advance Care Plan आपकी अग्रिम देखभाल योजना पर होने वाली चर्चा का एक रिकॉर्ड होता है और यह उन लोगों को आपकी निजी प्राथमिकताओं की सूचना देने का एक तरीका है जो आपकी देखरेख कर रहे हैं।

Advance Care Plan में उन व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का विवरण शामिल हो सकता है जो उपरोक्त वर्णन किए किन्हीं अन्य औपचारिक दस्तावेजों में शामिल नहीं हैं। आपकी देखरेख में शामिल और आपके लिए अलग-अलग मामलों का प्रबंध करने वाले लोगों के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका के तौर पर इसमें कोई विशेष अनुरोध या संदेश दर्ज किए जा सकते हैं।

इनमें ऐसी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं शामिल हैं जिनका स्वास्थ्य या उपचार से संबंधित होना आवश्यक नहीं है पर जो आपका इलाज करने वाले स्वास्थ्य-पेशेवरों, Enduring Guardian और/या परिवार को ये जानकारी देती हैं कि आप कैसा बर्ताव पसंद करेंगे और क्या आपके कोई विशेष अनुरोध या संदेश हैं, जैसे कि:

- आप क्या चाहते हैं कि आपकी देखरेख कहाँ की जाए
- आप क्या चाहते हैं कि आपसे मिलने कौन-कौन आए
- आपका पसंदीदा संगीत।

इस संदर्शिका से जुड़े फॉर्म को पूरा करके आप अपनी Advance Care Plan तैयार कर सकते हैं।

Living will

'living will' शब्द एक अभिव्यक्ति है जिसे कभी-कभी एक ऐसे रिकॉर्ड का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने भविष्य के अनुमानित स्वास्थ्य-देखरेख के बारे में अपने विचार बताता है जैसे कि क्या वह व्यक्ति उन विशिष्ट उपचार निर्णयों के संबंध में सहमति देता है या सहमति रोक कर रखता है जो उन्हें भविष्य में लेने की प्रत्याशा है। Living wills के प्रयोग का उद्देश्य तब होता है जब इन्हें तैयार करने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य-देखरेख से सम्बन्धित निर्णय न ले सके और न ही इन्हें बता सके।

Living wills में ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं:

- AHDs जिसे औपचारिक रूप से कानून में मान्यता प्राप्त है और जो देखरेख के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी हैं
- 'Common law directives' (CLD), अर्थात लिखित या मुंह-ज़बानी किया जाने वाला संचार है जो भविष्य की विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदान किए जाने वाले या रोककर रखे जाने वाले स्वास्थ्य उपचार से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। common law directives के संबंध में कोई औपचारिक आवश्यकताएँ नहीं हैं। हालांकि, यह स्थापित करने में काफी कठिनाइयाँ आ सकती है कि कोई विशेष CLD कानूनन वैध है और इसका अनुपालन किया जा सकता है। इस दुविधा के कारण ही इनका अनुशंसा नहीं की जाती है।

यदि निर्णय लेने की क्षमता खो देने के बाद ऐसी विशिष्ट उपचार प्राथमिकताएँ हैं जिन्हें आप अनुसरण किया जाना चाहते हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप AHD पूरा करें।

अन्य मामले

कम हो चुकी क्षमता और/या जीवन के अंत की स्थिति की प्रत्याशा में निर्णय लेते समय, आप स्वास्थ्य देखरेख के अलावा अन्य मामलों से संबंधित व्यवस्थाएँ करना भी पसंद कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी संपत्ति और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ हो जाते हैं तो ऐसा करने के लिए आप किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। इसके लिए Enduring Power of Attorney (EPA) नामक एक औपचारिक दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। Office of the Public Advocate के पास EPAs (सम्पर्क विवरण के लिए पृष्ठ 16 देखें) से सम्बन्धित और अधिक जानकारी उपलब्ध है।

यदि आपने पहले से वसीयत नहीं बनाई है, तो इसे बनाना महत्वपूर्ण है ताकि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति और सम्पदा को आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार वितरित किया जा सके। EPAs में यह सब शामिल नहीं है। यदि प्रासंगिक परिस्थितियों में बदलाव होता है (उदाहरणत: निष्पादक या लाभार्थियों की मौत होने की स्थिति, तलाक की स्थिति), तो समय-समय पर वसीयतों की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए और अगर प्रासंगिक हालात बदल जाएँ तो समय-समय पर उनको संशोधित भी किया जाना चाहिए। Public Trustee औपचारिकताओं के साथ सहायता कर सकता है और/या कुछ प्रासंगिक संसाधनों (देखें सम्पर्क विवरण के लिए पृष्ठ 16 देखें) का सुझाव दे सकता है।

दूसरों को सूचित करना

दूसरों को अपनी देखरेख के निर्णयों की सूचना देने से आपको अपने करीबी लोगों के साथ इन निर्णयों की चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

यदि आपने कोई Advance Care Planning दस्तावेज़ पूरा किया है (उदाहरण के लिए, Advance Health Directive, Advance Care Plan या Enduring Power of Guardianship), तो ये महत्वपूर्ण है कि आपके करीबी लोग और आपकी देखरेख में शामिल लोग इस बात से अवगत हैं कि आपने ये दस्तावेज़ पूरे कर लिए हैं, और ये कहाँ स्थित हैं। अहम लोगों के लिए एक प्रति आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

याद रखें, दूसरों को तब तक आपकी प्राथमिकताएं पता नहीं चलेंगी जब तक कि आप इनके बारे में उन्हें नहीं बताएँगे।

आप इन बातों पर भी विचार कर सकते हैं:

- अपने स्पेशलिस्ट और/या जनरल प्रैक्टिशनर (GP) और जिस किसी अस्पताल में आप नियमित रूप से जाते हैं, उन्हें इसकी एक प्रति उपलब्ध करानी
- अपने पर्स या बटुए में AHD अलर्ट कार्ड जैसा कोई अलर्ट कॉर्ड रखना जिससे आपके स्वास्थ्य-पेशेवर को यह पता लगे कि प्रति कहाँ से प्राप्त करनी है
- Medic Alert www.medicalert.org.au के साथ पंजीकरण करना
  टेलीफोन 1800 882 222
- My Health Record www.myhealthrecord.gov.au के साथ पंजीकरण करना
  टेलीफोन 1800 723 471
- अपने करीबी लोगों को यह बताना कि आपने अपने दस्तावेज़ों की प्रति कहाँ रखी है ताकि उनको यह जानकारी हो कि इसे आसानी से कहाँ खोजना है (उदाहरण के लिए, फ्रिज में सामने की तरफ या उस स्थान पर जहाँ आप आम-तौर पर अपने भुगतान न किए बिल रखते हैं)
- उन सभी लोगों की सूची बनानी जिनके पास आपके Advance Care Planning दस्तावेजों की वर्तमान प्रति है।

गैर-आकस्मिक उपचार निर्णय लेने की प्रक्रिया

यदि आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और आप अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं, तो आप अपने उपचार निर्णय (उपचार करने के लिए सहमति या मनाही करनी) खुद ले सकते हैं। यदि आप अपने लिए निर्णय करने में असमर्थ हैं और आपको गैर-तात्कालिक उपचार की जरूरत है, तो नीचे दिए 'निर्णयकर्ताओं के पदानुक्रम' के अनुसार उपचार निर्णय लिए जाएँगे।

यदि आपके पास उचित या वैध AHD नहीं है, तो स्वास्थ्य-पेशेवर सूची में से उस पहले व्यक्ति से उपचार निर्णय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होगी, जिसके पास पूर्ण कानूनी क्षमता होगी और जो निर्णय लेने का इच्छुक होगा और इसके लिए उपलब्ध होगा। इस व्यक्ति को 'जिम्मेदार व्यक्ति' के रूप में भी जाना जाता है।

यदि आपके जीवन को बचाने या अनावश्यक दर्द को रोकने के लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता है, तो स्वास्थ्य पेशेवर सहमति मांगे बिना यह उपचार प्रदान कर सकते हैं, हालांकि निरंतर उपचार के लिए उनके लिए सहमति लेना ज़रूरी होगा।

निर्णयकर्ताओं का पदानुक्रम

Advance Health Directive

फैसले AHD के अनुसार लिए जाने चाहिए बशर्ते कि परिस्थितियों मे बदलाव न हो गया हो या निर्णयकर्ता द्वारा ऐसा प्रत्याशित न किया जा सकता हो।

↓

अधिकार प्राप्त Enduring Guardian

↓

अधिकार प्राप्त Guardian

↓

जीवन साथी या डिफेक्टो

↓

वयस्क बेटा या बेटी

↓

माता-पिता

↓

भाई- बहन

↓

प्राथमिक अवैतनिक देखरेखकर्ता

↓

निकट व्यक्तिगत संबंध वाले अन्य व्यक्ति

आगे की जानकारी

किसी दस्तावेज़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप नीचे दिए गए निम्न अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:

Advance Health Directive

Department of Health – Office of the Chief Medical Officer

टेलीफ़ोन: (08) 9222 2300
ई-मेल: acp@health.wa.gov.au
वेबसाइट: www.health.wa.gov.au/advancecareplanning या
www.healthywa.wa.gov.au/advancecareplanning
डाक पता: PO Box 8172, Perth Business Centre, PERTH WA 6849

(उपरोक्त इंटरनेट पते में एक सेल्फ-डायरेक्टेड ई-लर्निंग संसाधन तक पहुंच शामिल है)

Enduring Power of Guardianship

Office of the Public Advocate

टेलीफ़ोन: 1300 858 455; TTY: 1300 859 955
ई-मेल: opa@justice.wa.gov.au
वेबसाइट: www.publicadvocate.wa.gov.au
डाक पता: PO Box 6293, EAST PERTH WA 6892

Enduring Power of Attorney

Office of the Public Advocate

टेलीफ़ोन: 1300 858 455; TTY: 1300 859 955
ई-मेल: opa@justice.wa.gov.au
वेबसाइट: www.publicadvocate.wa.gov.au
डाक पता: PO Box 6293, EAST PERTH WA 6892

Will

Office of the Public Trustee

टेलीफ़ोन:
1300 746 116 (Wills, Deceased Estates and EPA)
1300 746 212 (Administration and Represented Persons)
ई-मेल: public.trustee@justice.wa.gov.au
वेबसाइट: www.publictrustee.wa.gov.au

शब्दकोष

इस संदर्शिका में, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ हैं:

Advance Care Planning

Advance Care Planning रोगी की मान्यताओं, विचार-धाराओं, उपचार और देखरेख विकल्पों के बारे में रोगी और उसके देखरेखकर्ताओं, उसके परिवार और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच निरंतर होने वाली चर्चा है। यह उस परिस्थिति में विशेष रूप से रोगी के भविष्य के उपचार और देखभाल के लिए उसकी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जब वह ज़रूरत पड़ने पर अपने फैसले लेने या संचार करने में सक्षम नहीं होंगे।

पूर्ण कानूनी क्षमता

औपचारिक समझौता बनाने और उस समझौते में शामिल बयानों के प्रभाव को समझने की क्षमता।

स्वास्थ्य-पेशेवर

कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बन्धित व्यवसाय या पेशे में काम कर रहा हो जिसमें किसी विशिष्ट शिक्षा के पूर्ण सिद्धांतों का प्रयोग शामिल है, इसमें विशिष्ट रूप से कानून द्वारा परिभाषित व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्ति शामिल है।

जीवन को बनाए रखने के उपाय

मेडिकल, सर्जिकल या नर्सिंग कार्यविधि जो किसी ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक प्रकार्य को बदलती है जो स्वतंत्र रूप से काम करने में असमर्थ होता है। इसमें सहायता-प्राप्त वेंटिलेशन और कॉर्डियोपल्मोनेरी और कार्डियोपल्मोनरी रिसासिटेशन शामिल है।

Living will

'living will' शब्द एक अभिव्यक्ति है जिसे कभी-कभी एक ऐसे रिकॉर्ड का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने भविष्य के अनुमानित स्वास्थ्य-देखरेख के बारे में अपने विचार बताता है।

प्रशामक देखभाल

प्रशामक देखभाल का अर्थ है एक चिकित्सीय, सर्जिकल या नर्सिंग कार्यविधि जो किसी व्यक्ति के दर्द, बेचैनी या पीड़ा से राहत देने पर केन्द्रित होती है, लेकिन वह जीवन को बनाए रखने का उपाय नहीं है।

टर्मिनल रोग/अंतिम पड़ाव का रोग

कोई रोग या ऐसी स्थिति जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना होती है। टर्मिनल रोग के अंतिम चरण का अर्थ है की बीमारी उस चरण में पहुंच गई है जहाँ बहाली और लक्षणों में कमी होने (स्थायी या अस्थायी आधार पर) की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

इलाज

कोई भी चिकित्सीय, सर्जिकल या दंत चिकित्सीय या अन्य स्वास्थ्य देखरेख, इसमें जीवन बनाए रखने के उपाय या प्रशामक देखभाल शामिल है।

उपचार निर्णय

व्यक्ति के किसी भी उपचार के प्रारंभ करने या जारी रखने के लिए सहमति या असहमति देने का निर्णय।

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

अनुरोध किए जाने पर यह दस्तावेज़ किसी विकलांग व्यक्ति के लिए वैकल्पिक स्वरूपों (फॉर्मेट) में उपलब्ध कराया जा सकता है।

Produced by WA Cancer and Palliative Care Network
© Department of Health 2017

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the *Copyright Act 1968*, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of the State of Western Australia.

WCP-012586 JUL'17